



JALAUN POLICE

दिनांक- 15.10.2026

थाना कदौरा पुलिस टीम द्वारा 02 अभियुक्त को 01 अदद तमन्चा 315 बोर मय 02 अदद जिन्दा कारतूस व 01 अदद चाकू के साथ गिरफ्तार कर विधिक कार्यवाही की गयी।

अपर पुलिस महानिदेशक महोदय, कानपुर जोन, कानपुर श्रीमती अनुपम कुलश्रेष्ठ एवं पुलिस महानिरीक्षक महोदय, झांसी परिक्षेत्र, झांसी श्री आकाश कुलहरि के निर्देशन में पुलिस अधीक्षक जालौन श्री सुरेश चन्द्र रावत के कुशल पर्यवेक्षण व अपर पुलिस अधीक्षक जालौन डॉ० ईशान सोनी के नेतृत्व में थाना कदौरा पुलिस टीम द्वारा चैकिंग के दौरान 01 अभियुक्त आसिफ उर्फ बबलू को 01 अदद नाजायज तमन्चा 315 बोर व 02 अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर के साथ गिरफ्तार कर अभियुक्त के विरुद्ध थाना कदौरा पर मु०अ०सं० 148/2026 धारा 3/25 आयुध अधि० पंजीकृत किया गया एवं 01 अभियुक्त चुनई उर्फ जान मुहम्मद को 01 अदद नाजायज चाकू के साथ गिरफ्तार कर अभियुक्त के विरुद्ध थाना कदौरा पर मु०अ०सं० 149/2026 धारा 4/25 आयुध अधि० पंजीकृत किया गया।

अभियुक्तगण का विवरण-

1. आसिफ उर्फ बबलू पुत्र अल्लारखू नि० मो० इस्लामाबाद कस्बा व थाना कदौरा जनपद जालौन।
2. चुनई उर्फ जान मुहम्मद पुत्र टिरी कुरैशी नि० मो० ईदगाह कस्बा व थाना कदौरा जनपद जालौन।

बरामदगी का विवरण-

1. 01 अदद तमन्चा व 02 अदद कारतूस 315 बोर
2. 01 अदद चाकू

अपराधिक इतिहास अभियुक्त आसिफ उर्फ बबलू

1. मु०अ०सं० 190/2023 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट थाना कदौरा
2. मु०अ०सं० 02/2026 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट व धारा 10 उ०प्र० गुन्डा नियन्त्रण अधि० थाना कदौरा
3. मु०अ०सं० 552/2024 धारा 303(2)/317(2) बीएनएस थाना कोतवाली उरई
4. मु०अ०सं० 574/2024 धारा 3/25/27 आर्म्स एक्ट व धारा 109/3(5)/352 बीएनएस थाना कोत० उरई
5. मु०अ०सं० 146/2018 धारा 307/34 आईपीसी थाना आटा
6. मु०अ०सं० 147/2018 धारा 302/307/34 आईपीसी व 3(2)(v) Sc/st act थाना आटा
7. मु०अ०सं० 150/2018 धारा 3/25/27 आर्म्स एक्ट थाना आटा
8. मु०अ०सं० 108/2019 धारा 2/3 गैंगेस्टर एक्ट थाना आटा
9. मु०अ०सं० 148/2026 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना कदौरा जनपद जालौन

अपराधिक इतिहास अभियुक्त चुनई उर्फ जान मुहम्मद

1. मु०अ०सं० 71/2020 धारा 13 जी० एक्ट थाना कदौरा
2. मु०अ०सं० 144/2021 धारा 323/504/506 भादवि थाना कदौरा
3. मु०अ०सं० 146/2021 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना कदौरा
4. मु०अ०सं० 149/2026 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट थाना कदौरा जनपद जालौन

गिरफ्तार करने वाली टीम का विवरण-

1. थानाध्यक्ष कदौरा मय पुलिस टीम।